कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-06/2024 **दिनांक 26/06/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 25.06.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट/सर्विलांस व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 13.06.2024 को लाल दरवाजा स्थित ओम प्रकाश अग्रवाल के कपड़े की दुकान (बेबी लैण्ड) में आग लगाने की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 13.06.2024 को लाल दरवाजा थाना कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्त संजय कश्यप उर्फ श्याम पुत्र कालीचरन उर्फ गोपी निवासी अंजही घाट मारकीनगंज थाना कोतवाली द्वारा ओम प्रकाश अग्रवाल की बेबी लैण्ड नाम की दुकान में आग लगाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 255/2024 धारा 457,436 भादवि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 25.06.2024 को समय करीब 07.30 बजे राजकीय सिटी स्कूल के पास से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं ओम प्रकाश अग्रवाल के कपड़े की दुकान में पिछले 7-8 वर्षों से कार्य कर रहा था । परन्तु ओम प्रकाश अग्रवाल ने मुझे 06 महीने पहले बेइज्जत करके दुकान से निकाल दिया था। तभी से मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। मैं इनका नुकसान करने की फिराक में था। इसी रंजिश में मैंने दिनांक 13.06.2024 को मौका देखकर इनकी दुकान में आग लगा दिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम- पता व आपराधिक इतिहासः

1. संजय कश्यप उर्फ श्याम पुत्र कालीचरन उर्फ गोपी निवासी अंजही घाट मारकीनगंज थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र 23 वर्ष

•मु0अ0सं0 255/2024 धारा 457,436 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरणः

एक अदद सरिया लम्बाई करीब डेढ़ फुट, एक अदद आरी ब्लेड, एक अदद पेंचकस

02. स्वाट/सर्विलांस व थाना सैदपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.05.2024 को हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण में स्वाट/सर्विलांस व थाना सैदपुर, पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.05.2024 को थाना सैदपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम चकिया खतीब (मनसुखवाँ) में विनोद पुत्र बृजनाथ की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को आज दिनांक 25.06.2024 को स्वाट/सर्विलांस व थाना सैदपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा समय करीब 05.08 बजे ग्राम कटया थाना सादात जनपद गाजीपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के पास से 01 अदद अपाचे मोटर साइकिल (UP50CU9215) बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जिस लड़की से मेरी शादी तय थी, विनोद उस लड़की पर दबाव बनाता था कि मुझसे वह शादी न करे और उसके दबाव बनाने के कारण मेरी शादी टूट गई। जिससे मैं उससे रंजिश रखता था, उसी रंजिश में मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम- पता व आपराधिक इतिहासः

1 कुन्दन उर्फ मोहित राजभर पुत्र महेन्द्र राजभर निवासी ग्राम कटया थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 96/2024 धारा 302/34 भादवि थाना सैदपुर गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 22/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादात गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 636/2014 धारा 307 भादवि थाना सादात गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 32/2018 धारा 323/506 भादवि थाना सादात गाजीपुर
5. मु0अ0स0 10/2018 धारा 323/504/506/342 भादवि थाना बहरियाबाद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण:

1. 01 अदद अपाचे मोटर साइकिल (UP50CU9215)

03. थाना ग़हमर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 102/2024 धारा 302,506 भादवि में वांछित 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जमानिया के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र मय हमराह के देखभाल क्षेत्र मे प्राईमरी स्कूल कुतुबपुर के पास थाना गहमर गाजीपुर से अभियुक्तगण 1. शिवशंकर चौधरी पुत्र स्व0 मुखा चौधरी 2.गोरख चौधरी उर्फ राजकुमार चौधरी पुत्र शिवशंकर चौधरी नि0गण खुदरा पथरा (गदाईपुर) थाना गहमर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 102/2024 धारा 302/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

घटना का कारण- वर्ष 2005 में अभियुक्त शिवशंकर चौधरी के बड़े लड़के की हत्या की गयी थी। जिसमें दो लोगो को नामजद किया गया था। मुकदमें में मृतक उपेन्द्र का नाम नहीं था लेकिन बाद में जानकारी हुई कि

हत्या में उपेन्द्र भी शामिल था और मृतक आये दिन अभियुक्त शिवशंकर चौधरी को ताने देता था कि तुम्हारे लड़के को मैंने मार दिया था तो तुम मेरा क्या कर लिये। इसी बात को लेकर अभियुक्त गण द्वारा उपेन्द्र यादव को गोली मारकर हत्या की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम–पता:

1. शिवशंकर चौधरी पुत्र स्व0 मुखा चौधरी नि0 ग्राम खुदरा पथरा (गदाईपुर) थाना गहमर जनपद गाजीपुर
2. गोरख चौधरी उर्फ राजकुमार चौधरी पुत्र शिवशंकर चौधरी नि0 ग्राम खुदरा पथरा (गदाईपुर) थाना गहमर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का विवरण :

गिरफ्तारी का दिनांक 25.06.24 समय 04.10 बजे प्राईमरी स्कूल कुतुबपुर के पास थाना गहमर गाजीपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास—

अभि0 शिवशंकर चौधरी का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 102/24 धारा 302,506 भादवि थाना गहमर जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 244ए/2005 धारा 452,323,325,427,504 भादवि थाना गहमर गाजीपुर

अभि0 गोरख चौधरी का आपराधिक इतिहास –

1, मु0अ0सं0 102/24 धारा 302,506 भादवि थाना गहमर जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 255/23 धारा 504,506 भादवि थाना गहमर गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 244ए/2005 धारा 452,323,325,427,504 भादवि थाना गहमर गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर